भारत सरकार
रसायन और उर्वरक मंत्रालय
उर्वरक विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या **4282**

जिसका उत्तर शुक्रवार, 20 दिसंबर, 2024/29 अग्रहायण, 1946 (शक) को दिया जाना है।

डीएपी और एनपीके उर्वरकों का वितरण

4282. श्रीमती रुचि वीरा:

क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार देश में डीएपी और एनपीके उर्वरकों के वितरण में किसानों के समक्ष आ रही समस्याओं से अवगत है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) सरकार द्वारा किसानों को उर्वरकों की आसानी से उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं; और
(घ) सरकार द्वारा मुरादाबाद लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत मुरादाबाद और बिजनौर जिलों में डीएपी और एनपीके उर्वरकों के वितरण के लिए कितने केन्द्र बनाए गए हैं और किन स्थानों का चयन किया गया है?

उत्तर

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क) तथा (ख): चालू रबी मौसम 2024-25 (01.10.2024 से 16.12.2024 तक) के दौरान देश में डीएपी और एनपीकेएस की आवश्यकता, उपलब्धता, बिक्री और अंतिम स्टॉक निम्नानुसार है:

<मात्रा एलएमटी में>

क्र.सं	**उत्पाद समूह**	**मौसम संबंधी आवश्यकता**	**16.12.2024 तक यथानुपातिक आवश्यकता**	**16.12.2024 तक उपलब्धता**	**16.12.2024 तक डीबीटी बिक्री**	**16.12.2024 तक अंतिम स्टॉक**
1	**डीएपी**	52.05	38.53	43.83	34.32	9.51
2	**एनपीकेएस**	77.10	44.15	63.60	40.43	23.17

(ग): देश में उर्वरकों की समय पर और पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा प्रत्येक मौसम में निम्नलिखित उपाए किए जाते हैं:

i. प्रत्येक फसल मौसम के प्रारंभ होने से पहले, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग (डीएएण्डएफडब्ल्यू), सभी राज्य सरकारों के परामर्श से उर्वरकों की राज्य-वार और माह-वार आवश्यकता का आकलन करता है।

ii. अनुमानित आवश्यकता के आधार पर, उर्वरक विभाग मासिक आपूर्ति योजना जारी करके राज्यों को उर्वरकों की यथेष्ट/पर्याप्त मात्रा का आवंटन करता है और उपलब्धता की लगातार निगरानी करता है।

iii. देश भर में सब्सिडी प्राप्त सभी प्रमुख उर्वरकों के संचलन की निगरानी एकीकृत उर्वरक निगरानी प्रणाली (आईएफएमएस) नामक एक ऑनलाइन वेब आधारित निगरानी प्रणाली द्वारा की जाती है;

iv. कृषि एवं किसान कल्याण विभाग (डीएएंडएफडब्ल्यू) और उर्वरक विभाग द्वारा संयुक्त रूप से राज्य कृषि अधिकारियों के साथ नियमित रूप से साप्ताहिक वीडियो कांफ्रेंस की जाती है और राज्य सरकारों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार उर्वरकों के प्रेषण हेतु सुधारात्मक कार्रवाई की जाती है।

v. उर्वरकों की मांग (आवश्यकता) तथा उत्पादन के बीच के अंतर को आयात के माध्यम से पूरा किया जाता है। समय पर उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु मौसम में किए जाने वाले आयात को भी पहले से ही सुनिश्चित किया जाता है।

(घ): उत्तर प्रदेश राज्य सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार, सहकारी समितियों के 126 उर्वरक बिक्री केन्द्र, गन्ना समितियों के 52 उर्वरक बिक्री केन्द्र और अन्य/निजी कम्पनियों के 597 उर्वरक बिक्री केन्द्र बिजनौर जिले के किसानों को डीएपी और एनपीकेएस उर्वरक उपलब्ध करा रहे हैं जबकि सहकारी समितियों के 109 उर्वरक बिक्री केन्द्र, गन्ना समितियों के 10 उर्वरक बिक्री केन्द्र तथा अन्य/निजी कम्पनियों के 404 उर्वरक बिक्री केन्द्र मुरादाबाद जिले के किसानों को डीएपी एवं एनपीकेएस उर्वरक उपलब्ध करा रहे हैं।

******